

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 25-10-2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री लियाकत खान, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/1197/98) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर महानगर, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री प्रदीप सिंह चौहान, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर महानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

४०
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।
9. जिला कलक्टर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
14. सहायक लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
15. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


25/10/2019

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 25-10-2019

:: आदेश ::

राजस्थान सती (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 10 के अनुसार श्री रजनीश कुमार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर / 268 / 03) को उक्त अध्यादेश के अधीन गठित विशेष न्यायालय (सती निवारण) जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (सती निवारण) जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री नरपत सिंह, विशिष्ट लोक अभियोजक (सती निवारण) जयपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

टू

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक माननीय विधिमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एंव सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश (सती निवारण) जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
12. संबंधित अभिभाषक।
13. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
14. लेखाधिकारी, वादकरण।
15. प्रोग्रामर, विधि एंव विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।


25/10/2019
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 25-10-2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एंव 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है : -

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेंट नं०	पद नाम
1	श्री राजेश श्योराण	आर/ 385/ 97	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं01, जयपुर महानगर, जयपुर
2	श्री राकेश महर्षि	आर/ 1533/ 02	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, जयपुर महानगर, जयपुर
3	श्रीमती रचना मान	आर/ 218/ 98	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं03, जयपुर महानगर, जयपुर
4	श्री मातादीन शर्मा	आर/ 273/ 94	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं04, जयपुर महानगर, जयपुर
5	श्री. अरुण कुमार जाटावत	आर/ 182/ 96	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं05, जयपुर महानगर, जयपुर
6	श्रीमती ललिता संजीव महरवाल	आर/ 108/ 2000	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं06, जयपुर महानगर, जयपुर

आज्ञा से


२०

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
8. जिला एंव सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।
9. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, सं02, सं03, सं04, सं05 एंव सं06 जयपुर महानगर, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जयपुर।

निरन्तर-


25/10/2019

11. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
12. संबंधित अभियोजक
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


३०।१।२०१९
(जनामाहन शमा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 25-10-2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम
1	श्री नरेश गजराज	आर/1789/11	अपर लोक अभियोजक सं02 (म0उ0), जयपुर महानगर
2	श्री गिरधारी लाल चतुर्वेदी	आर/252/88	अपर लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर
3	श्री मनीष कुमार गुप्ता	आर/417/06	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, जयपुर महानगर
4	श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री हीरालाल	आर/1143/94	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, जयपुर महानगर
5	श्री सुरेश कुमार गुर्जर	आर/680/99	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, जयपुर महानगर
6	श्री महेश कुमार सैनी	आर/3149/05	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं07, जयपुर महानगर
7	श्री गिर्जज प्रसाद गुर्जर	आर/2655/07	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं08, जयपुर महानगर
8	श्रीमती साजीया खान	आर/2847/10	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं010, जयपुर महानगर
9	श्री मुराद बेग	आर/590/04	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं011, जयपुर महानगर
10	श्री मोहन लाल गुर्जर	आर/3011/03	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं012, जयपुर महानगर
11	श्री जितेन्द्र शर्मा	आर/2506/01	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं013, जयपुर महानगर
12	श्री कमल किशोर मीणा पुत्र श्री छीतरमल मीणा	आर/100/04	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं014, जयपुर महानगर
13	श्री सीताराम सैनी	आर/636/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं016, जयपुर महानगर
14	श्री जितेन्द्र सिंह	आर/1977/07	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं017, जयपुर महानगर
15	श्री ओम प्रकाश चौधरी	आर/2506/08	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं019, जयपुर महानगर, मुख्यालय सांगानेर
16	श्री सुनील सैनी	आर/130/11	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं020, जयपुर महानगर, मुख्यालय चौमू

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री ब्रजेन्द्र सिंह नाथावत	अपर लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर
2	श्री अवधेश कुमार शर्मा	अपर लोक अभियोजक सं02 (म0उ0) जयपुर महानगर
3	श्री मुकेश जोशी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, जयपुर महानगर
4	श्री राजेन्द्र शर्मा (डांगरवाल)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, जयपुर महानगर
5	श्री कुलदीप शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, जयपुर महानगर
6	श्री प्रणव कानूनगो	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं07, जयपुर महानगर


25/10/2019

7	श्री प्रमोद सिंह शेखावत	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं08, जयपुर महानगर
8	श्री रामवतार सनवाल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं010, जयपुर महानगर
9	श्री दिवाकर रावल	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं011, जयपुर महानगर
10	श्री महावीर सिंह किशनावत	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं012, जयपुर महानगर
11	श्री आलोक शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं014, जयपुर महानगर
12	श्री राजेश पारीक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं015, जयपुर महानगर
13	श्री श्याम सिंह	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं016, जयपुर महानगर
14	श्री कुलदीप गौड़	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं017, जयपुर महानगर
15	श्री संजय शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं019, जयपुर महानगर, मुख्यालय सांगानेर
16	श्री मुकेश यादव	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं020, जयपुर महानगर, मुख्यालय चौमू

आज्ञा से

१०
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/ जोधपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर।
- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, सं0 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 जयपुर महानगर/ सं019 जयपुर महानगर मुख्यालय सांगानेर/ सं0 20, जयपुर महानगर, मुख्यालय चौमू/ आवश्यक वस्तु अधिनियम, जयपुर/ अतिरिक्त सैशन न्यायालय, सं02 (म0उ0), जयपुर महानगर।
- जिला कलवटर, जयपुर।
- कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
- संबंधित अभियोजक।
- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।


25/07/2019
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण